

भारतीय मानक ब्यूरो
(कोलकाता शाखा कार्यालय-1)

हमारा संदर्भ : केकेबीओ-1/ए-51001927

दिनांक: 12.04.2023

कोलकाता शाखा कार्यालय-1 को मेसर्स इंजीनियर्स और डेवलपर्स से विकल्प-1 के तहत भारतीय मानक 17853:2022 के अनुसार फोर्टिफाइड चावल कर्नेल के निर्माण के लिए उपकरण उत्पाद पर भा.मा.ब्यूरो के मानक चिह्न के प्रयोग करने हेतु लाइसेंस प्रदान करने का आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है।

भारतीय मानक ब्यूरो के वेबसाइट/इंटरनेट, केंद्रीय मुहर विभाग का परिपत्र एवं क्षेत्रीय कार्यालयों/शाखा कार्यालयों से प्राप्त सूचना के आधार पर निम्नलिखित विषय पाया गया -

1. उपरोक्त उत्पाद के लिए कोई भी बीआईएस लाइसेंस अस्तित्व में नहीं है।
2. उक्त उत्पाद के लिए मुहरांकन शुल्क, एसआईटी और ग्रुपिंग दिशानिर्देश उपलब्ध नहीं हैं।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, इस आवेदन को उक्त उत्पाद के लिए अखिल भारतीय स्तर पर प्रथम आवेदन के रूप में माना जा सकता है।

अंकिता नियोगी
(अंकिता नियोगी) 12/4/23
वैज्ञानिक--बी

प्रमुख, (केकेबीओ-1)
उपमहानिदेशक(पूर्वी)
प्रमुख, (सीएमडी-2)
प्रमुख, (एलआरएमडी)
सभी क्षेत्रीय कार्यालय एवं शाखा कार्यालय
आईटीएसडी- इंटरनेट पर परिसंचरण हेतु

BUREAU OF INDIAN STANDARDS
(Kolkata Branch Office- I)

Our Ref: KKBO-I/A- 51001927

12.04.2023

KKBO-I has received an application from M/s **Engineers & Developers** under Option-1 for grant of Licence to use of BIS standard mark on the product **Equipment for manufacture of fortified rice kernel** as per **IS 17853:2022**


As per the information obtained from BIS Website/ Intranet, Circulars of CMD's to ROs/ BOs the following is observed:

1. No BIS licence exists for the above mentioned product.
2. Marking fee, SIT & Grouping guidelines are not available for the product.

In the view of above, the application may be considered to be All India First for the above product.



Ankita Neogi
Scientist-B


Head (KKBO-I)
DDGE
Head (CMD-2)
Head (LRMD)
All RO's & BO's
ITSD- For circulation on intranet